

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद-अमेठी

पत्रांक-स्टेनो / मान्यता / अंग्रेजी / 0150-60
प्रबन्धक,

/2015-16

दिनांक- 31/03/16

डिवाइन पब्लिक स्कूल पुर तज अमेठी 354113
पो. 227813, जनपद- अमेठी।

विषय:- विद्यालय को नर्सरी से कक्षा..... तक की अंग्रेजी माध्यम की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपको शासनादेश संख्या:419/79-6-2013-18(20)/91 लखनऊ दिनांक 08 मई 2013 के प्राविधानों के अंतर्गत मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 15-03-2016 में लिये गये निर्णय के कम में विद्यालय को नर्सरी से कक्षा..... तक की अंग्रेजी माध्यम की मान्यता नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक अनंतिम/अस्थायी मान्यता निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के साथ प्रदान की जाती है-

- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में मान्यता स्तर के पश्चात मान्यता/सम्बन्धन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (उपाबन्ध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम-2010 (उपाबन्ध-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा-1 में (या यथार्थि, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा- विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उपधारा(2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-
(1) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
(2) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्वधीन नहीं किया जायेगा।
(3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
(4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
(5) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तताग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
(6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जायेगी।
(7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और अध्यापक संसद को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा।
- विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलायी जायेंगी।
- विद्यालय संचालित करने वाली संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 क 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा ही चलाया जायेगा।
- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह अथवा एसोसिएशन को लाभ के लिए संचालित नहीं किया जायेगा।
- विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सम्परीक्षा करायी जायेगी और उसके द्वारा प्रमाणित किया जायेगा कि विद्यालय द्वारा लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया गया है। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जायेगी।

11. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाओं या कीड़ाखल का प्रयोग केवल शिक्षा और खेल के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा। विद्यालय भवन का परिसर अथवा मैदान को किसी राजनैतिक दल या संसदीय दल के प्रयोजनों के लिए नहीं प्रयोग किया जायेगा।

Divine Public School
Purey Taj, Amethi-227813
MANAGER

Principal
Divine Public School
Purey Taj, Amethi-227813
PRINCIPAL

DIVINE PUBLIC SCHOOL
PURE TAJ, AMETHI

DIVINE PUBLIC SCHOOL
PURE TAJ, AMETHI

- कलाओं के प्रयोग में भी नहीं लिया जायेगा। विद्यालय भवन का वाह्य रंग सफेद होना चाहिए और अधिकतम दो वर्ष में विद्यालय भवन में रंग रोगन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।
- विद्यालय द्वारा पंजीकरण शुल्क, स्कूल भवन शुल्क, तथा कैपिटेशन के रूप में कोई फीस विद्यार्थियों से लेना वर्जित है। बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यक्ष नहीं करेगा।
 - मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं मंहगाई शुल्क मिलाकर उतना मासिक शुल्क स्वीकार किया जायेगा जो अध्यापकों/कर्मचारी कल्याणकारी योजना का अंशदान वहन करने के लिए पर्याप्त हो इसके अतिरिक्त शिक्षण शुल्क तथा मंहगाई शुल्क से विद्यालय की वार्षिक आय में से वेतन भुगतान के पश्चात शुल्क आय के 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हो। शिक्षण शुल्क में कोई वृद्धि तीन वर्ष तक नहीं की जायेगी। शुल्क में जब वृद्धि की जायेगी वह 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
 - विद्यालय का किसी सरकारी अधिकारी अथवा स्थानीय शिक्षा अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के जनपदीय/मण्डलीय/राज्य स्तरीय अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी विद्यालय से सूचना माँगे जाने पर आवश्यक आख्यायें एवं सूचनाएँ निर्देशानुसार उपलब्ध करायी जायेंगी तथा निर्देशों का पालन विद्यालयों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
 - बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार पठन-पाठन कराया जाए। मान्य पुस्तकों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की पुस्तक का पठन-पाठन न कराया जाए और किसी विशेष प्रकाशन की स्टेशनरी का कय किये जाने हेतु छात्रों पर दबाव न बनाया जाए न ही अभ्यास पुस्तिकाओं पर विद्यालयों का नाम मुद्रित कराकर कय हेतु बाध्य किया जाए अन्यथा ऐसे विद्यालयों की मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।
 - शासनादेश में वर्णित उपबन्धों के अनुसार प्रत्येक कक्षानुभाग के प्रति छात्र संख्या के अनुरूप स्थान उपलब्ध होना चाहिए। विद्यालय में कक्षावार उतने ही छात्र/छात्राओं का प्रवेश दिया जाए जिनके बैठने की समुचित व्यवस्था हो।
 - सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।
 - मान्यता स्तर के शिक्षण के लिए उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 की धारा-6 के प्रस्तर-15 में प्रदत्त व्यवस्थानुसार अर्हताधारी अध्यापक/अध्यापिका उपलब्ध होना आवश्यक है। यह भी ध्यान रखा जायेगा कि उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए कम से कम प्रति कक्षा कक्ष हेतु विज्ञान और गणित, सामाजिक अध्ययन भाषा से सम्बन्धित शिक्षक उपलब्ध हों, इसके अतिरिक्त बाल शिक्षा स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा एवं कार्यानुभव शिक्षण हेतु भी एक-एक शिक्षक उपलब्ध होना चाहिए।
 - विद्यालय के कर्मचारियों के लिए प्रबन्धाधिकरण द्वारा सेवा नियमावली बनाकर प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें नियुक्ति का प्रकार, परिवीक्षाकाल, स्थायीकरण तथा दण्ड के सम्बन्ध में संविधान एवं विधि सम्मत प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है। सेवा नियमावली में अवकाश, पेंशन ग्रेज्युटी, बीमा, पीओफो तथा अन्य कर्मचारी कल्याणकारी योजनाओं का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।
 - भारत के संविधान में प्राविधानित राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय ध्वज व सर्व धर्म समभाव तथा मानवीय मूल्यों की सम्प्राप्ति के लिए प्राविधान समितियों तथा समय-समय पर निर्गत शासन के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा मान्यता आदेश निर्गत करने के उपरान्त विद्यालय की मान्यता हेतु आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों/प्रपत्रों/सूचनाओं तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आख्या/निरीक्षण आख्या में वर्णित सूचनाओं में यदि त्रुटिपूर्ण/मिथ्या/भ्रामक/तथ्यगोपन की स्थिति किसी भी स्तर पर पायी जाती है तो आपके विद्यालय को प्रदत्त मान्यता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका ही होगा। अग्रेतर यह भी निर्देशित किया जाता है कि आप द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेश/अधिनियमों/आर0टी0आई0 मानकों में वर्णित समस्त नियमों एवं शर्तों का नियमानुसार आनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

21/03/16

(आनन्द कुमार पाण्डेय)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

जनपद अमेठी

पृ० सं० पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।
- सम्बन्धित विकास खण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद-अमेठी।

MANAGER
DIVINE PUBLIC SCHOOL
PURE TAJ, AMETHI
Divine Public School
Pure Taj, Amethi-227813

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जनपद अमेठी
Principal
Divine Public School
Pure Taj, Amethi-227813

PRINCIPAL
DIVINE PUBLIC SCHOOL
PURE TAJ, AMETHI